एस.डी.एम. बनकर शादी : 5 साल की जेल

○अर्चना सिंह, एडवोकेट

लखनऊ। अपर मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट ज्ञान प्रकाश तिवारी ने एस.डी.एम. होने का झूठा झांसा देकर महिला डॉक्टर से शादी रचाने वाले अंशुल सक्सेना को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई कर रहे अभियुक्त के खिलाफ महिला डॉक्टर ने थाना चौक में धोखाधड़ी, मारपीट व जानमाल की धमकी देने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई थी। उसके मुताबिक वह मेडिकल कॉलेज में एमडीएस का कोर्स कर रही थी। अभियुक्त जनवरी 2010 में इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुआ था। वहां उसने अपने इलाज में तैनात उसको बताया कि वह उत्तराखंड में एसडीएम है। रामपुर का रहने वाला है और वहां उसका काफी बड़ा कारोबार है। अपने इस परिचय के साथ उसने महिला डॉक्टर से शादी का प्रस्ताव रखा। चार मई, 2010 को दोनों ने आर्यसमाज मंदिर में शादी कर ली। पीड़िता ससुराल गई तो पता चला कि वह मात्र ग्रेजुएट है। उसकी रामपुर में एक छोटी सी मोबाइल की दुकान है। अभियोजन अधिकारी वेद प्रकाश त्रिपाठी ने बहुत मजबूती से सरकार के पक्ष को रखकर यह सजा दिलवायी।

उपभोक्ता हित में उच्चतम न्यायालय का अहम फैसला

नई दिल्ली। उपभोक्ता मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए पीठ ने कहा है कि किसी भी शिकायत पर प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने के लिए अधिकतम 45 दिनों का वक्त दिया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि किसी भी स्थिति में यह अवधि नहीं बढ़नी चाहिए।

उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति अनिल आर दवे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा—13(2)(ए) कहता है कि शिकायतों का जल्द निपटारा होना चाहिए। कोशिश होनी चाहिए कि छह महीने के भीतर इसका निपटारा हो जाए। उपभोक्ता की शिकायत मिलने पर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया जाना चाहिए। प्रतिवादी को पक्ष रखने के लिए 30 दिनों का समय दिना जाना चाहिए। यह अवधि बढ़ाई जा सकती है लेकिन किसी भी स्थिति में और 15 दिनों से अधिक का समय नहीं दिया जा सकता। मालूम हो कि वर्ष 2002 में शीर्ष अदालत ने फैसले में कहा था कि प्रतिवादी को पक्ष रखने के लिए अधिकतम 45 दिनों का समय दिया जाना चाहिए, लेकिन वर्ष 2005 में तीन सदस्यीय पीठ ने फैसले में कहा था कि जवाब देने के लिए अधिकतम 45 दिन देना अनिवार्य नहीं है। इस पीठ ने कहा था कि अगर देरी का कारण उचित हो तो इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

न्यायमूर्ति अनिल आर दवे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि अगर उपभोक्ता की शिकायत का जल्द से जल्द निपटारा न हो तो उपभोक्ता अदालतों का क्या मतलब। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का जल्द से जल्द निपटारा हो।

पीठ ने कहा कि किसी भी प्रतिवादी को शिकायत पर अपना पक्ष रखने के लिए 45 दिनों से अधिक का समय नहीं दिया जाना चाहिए। अगर कोई इस अवधि में जवाब नहीं देता है तो फैसला सीधे तौर पर उपभोक्ता के पक्ष में चला जाएगा। इससे पहले नवंबर 2013 में दो सदस्यीय पीठ ने शीर्ष अदालत के कुछ विरोधाभासी आदेशों को देखते हुए इसे स्पष्ट करने के लिए मामले को बड़ी पीठ के पास भेज दिया था।

खिसियानी बिल्ली खम्भ नोचे

सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) विधेयक को खारिज किए जाने से नाराज सांसदो को लगता है कि न्यायपालिका निरंकुश हो गई है। उनका मानना है कि न्यायपालिका संसद के अधिकार क्षेत्र में दखल दे रही है, इसलिए उसे सख्त संदेश देने की जरूरत है। दिलचस्प तो यह है कि ऐसी राय रखने वालों में सभी पार्टियों के सांसद शामिल हैं। दरअसल 'जजेज सैलरी एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस' बिल पर चर्चा के क्रम में यह मसला उठा। इस विधेयक में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए बेहतर वेतन—भत्ते का प्रावधान है। सांसदों ने इस बिल को तो पास कर दिया, मगर न्यायपालिका को लेकर अपनी भड़ास भी खूब निकाली जबकि उनके पास ऐसा कोई ठोस तर्क नहीं था, जिससे वे साबित कर सकें कि न्यायपालिका उनके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रही है।

उनका मंतव्य जुडिशरी को सबक सिखाने जैसा था। उन्हें मंजूर नहीं कि अदालतें ज्यादा सक्रिय दिखें। हमारे संविधान में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन पर जोर दिया गया है। मूल भावना यह है कि संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में तीनों एक—दूसरे को सहयोग देंगे। एक जीवंत लोकतंत्र की निशानी यह है कि उसमें विधायिका सबसे सक्रिय भूमिका निभाए और न्यायपालिका अभिभावक की तरह बैकग्राउंड में रहकर उसका मार्गदर्शन करे। लेकिन व्यवहार में स्थितियां कुछ और दिख रही हैं। आज आलम यह है कि देश में न्यायपालिका को कार्यपालिका की भूमिका भी निभानी पड़ रही है। उसे याद दिलाना पड़ता है कि सरकार कानून—व्यवस्था दुरुस्त करे, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखे। हाल के वर्षों में उसे कार्यपालिका और विधायिका के कई दिग्गजों के भ्रष्टाचार से जुड़े मामले भी निपटाने पड़े हैं। अगर कार्यपालिका और विधायिका ने जवाबदेही ढंग से निभाई होती तो जुडिशरी को आगे आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। रही नियुक्ति प्रक्रिया की बात, तो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एनजेएसी को असंवैधानिक ठहराया क्योंकि उसे लगा कि इससे न्यायिक स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। इसका यह मतलब लगाना अनुचित होगा कि वह जजों की नियुक्ति में किसी की बात नहीं सुनना चाहती। बेहतर तो यह होगा कि नियुक्ति प्रक्रिया के लिए न्यायपालिका से परामर्श कर एक बेहतर कानून बनाया जाए।

कतन्ना

-शब्दवेधी

- आरक्षण नहीं हटेगा —नरेन्द्र मोदी
- तो राष्ट्रहित का नाटक भी बन्द कीजिए।
- अपने जवानों की लाशें देखकर आता है गुस्सा —जनरल वी.के. सिंह
- इस गुस्से का देशवासी क्या करें? ओढ़े कि बिछायें। बन्द करो ये नाटक
- पहले पीट दें और फिर सॉरी कहें, ये कोई तरीका है —लालू यादव
- पहले चारा खा गये अब राबड़ी का जानवर क्या करे?
- सहकारी संस्थाओं से भ्रष्टाचार खत्म करना जरूरी — शिवपाल सिंह यादव
- काहे मजाक करते हैं।
- पी.एम. को नहीं बुद्धिजीवियों की चिंता —दूधनाथ सिंह, सहित्कार
- चाटुकारों को बुद्धिजीवी क्यों कह रहे हैं।
- 60 पार वाले नेता राजनीति छोड़ें —अमित शाह, अध्यक्ष भाजपा
- कहीं आपका इशारा मोदी की तरफ तो नहीं है?
- देश को बांटने की साजिश हो रही और पीएम चुप हैं —राहुल गांधी
- इसलिए कि मोदी देश को एक रखना चाहते हैं।
- अवार्ड पाने वाले समझें उसकी कीमत —प्रणब मुखर्जी, राष्ट्रपति
- कीमत तो जब चीज मेहनत से मिलती है उसकी समझते हैं लोग चाटुकारिता से मिली चीज की कीमत क्या समझेंगे?
- सांप्रदायिक संगठनों पर लगे पाबंदी —लखनऊ के मौलानाओं की अपील
- धर्म के सड़क पर सार्वजनिक प्रदर्शन पर ही पाबन्दी लगानी चाहिए।
- अगड़े जातियों के गरीबों को भी मिले आरक्षण —मायावती, राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा
- अमीर पिछड़ों, एस.सी./एस.टी. का बन्द क्यों न हो?
- द्वारका मंदिर में कांग्रेस सांसद शैलज्म ने 2013 में जाति पूछने का आरोप लगाया —खबर
- जब चुनाव में पर्चा दाखिले में जाति पूछी गयी तो नहीं बुरा लगा अब क्यों?
- देश के पास पी.ओ. के. हासिल करने की ताकत नहीं —फारूक अब्दुल्ला
- तुम्हारे जैसे गद्दार जब तक रहेंगे तब तक तो नहीं
- गाड़ी की नम्बर प्लेट पर कुछ और लिखा तो लगेगा जुर्माना —खबर
- सबसे पहले सारी सरकारी गाड़ियों का चालन हो।
- मै चाहता हूं कि नेताजी के सपने पूरे हों। वे प्रधानमंत्री बने और वह (राहुल गांधी) उपप्रधानमंत्री। उन्हें यह मंजूर हो तो मैं गठबन्धन के लिए अभी हां कर देता हूँ। —अखिलेश यादव, मु.म.उ.प्र.
- अब इतना बताया है तो यह भी बता दीजिए डिम्पल, रामगोपाल, अक्षय और तेज प्रताप को कौन सा विभाग मिले वहाँ।
- पार्टियों के चन्दे में आधा से ज्यादा हिस्सा भाजपा का —खबर
- ये चन्दा नहीं निवेश है जितना दिया है उससे हजार गुना ज्यादा लेंगे, सरकारें काम ही उनके लिए करती हैं इसलिए जोदल सत्ता में होता है उसे ज्यादा चन्दा मिलता है।
- आज सभी इन्टालरेंस फील कर रहे हैं —काजोल, फिल्म अभिनेत्री
- तुम्हारी किसने बिना मर्जी के ले ली।

कलर प्रिन्ट आउट (ऐनी साइज), फोटो कापी, नक्से का प्रिन्ट आउट, फोटो, टाइपिंग, मैगजीन कम्पोजिंग, बाइंडिन्ग, आधार कार्ड प्रिन्ट आउट, डिजाइनिंग आदि कार्य के लिए सम्पर्क करें
पी.आर. बिजनेस सेण्टर
ग्राउण्ड फ्लोर, बी.एम. प्लाजा, नवल किशोर रोड, (मल्टी पार्किंग के बगल) हजरतगंज, लखनऊ
मो. 9125434179